

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

22/2/19 पत्तावली पेशा दुई वकुलाम फकीरके आम्बरी वकुलाम बटवत हुई समीप चाहे हु जो समीप हुई मय पत्तावली आम्बरी हुई 20/2/19 ती पेशा हुई

सहायक कलेक्टर एव उप खण्ड अधिकारी बिलाडा

20/2/2019 पत्तावली आम्बरी पेशा दुई वकुलाम फकीरके आम्बरी उपस्थित। यैनी पत्तावली के अखिरवतियों की प्रार्थना पत्र पर बटवस सुनी गयी। पत्तावली का मते निर्णय आम्बरी दिनांक 16-9-2019 को प्रस्तुत है।

सहायक कलेक्टर एव उप खण्ड अधिकारी बिलाडा

निर्णय ::

16/9/2019 पत्तावली आम्बरी प्रस्तुत हुई। वकुलाम फकीरके उपस्थित पत्तावली का अखिरवतियों के अखिरवतियों एवं अखिरवतियों के मते आम्बरी वकुलाम हुई की गयी बटवस पर अखिरवतियों गयी।

पत्तावली प्रथम सुनवाई मामला। पत्तावली के मते सुनवाई का मन्तव्य प्रार्थना पत्र में होता एवं अखिरवतियों

सहायक कलेक्टर एव उप खण्ड अधिकारी बिलाडा

FORM NO. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

AAP-A
Crim-I

मुकदमा नं. _____ सन् _____

तारीख हुक्म हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पत्तावली को होना साबित करने में असमर्थ रहा है इसलिए पत्तावली का प्रार्थना पत्र अखिरवतियों के मते प्रामाण्य है। अतः पत्तावली का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान कायदाकारी अधिनियम 1955 अखिरवतियों के मते ही मन्तव्य दिवस प्रामाण्य है।

पत्तावली के मते सुनवाई के मते अखिरवतियों के मते 52/2018 इम्प्लेमेंटेशन ऑफ अन्तर्गत धारा 53, 188 आम्बरी पर 1955 के मते मन्तव्य है।

निर्णय मते सुनवाई का सुनवाई गयी।

सहायक कलेक्टर एव उप खण्ड अधिकारी बिलाडा